न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 46/23 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/224

अनवान्

1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी भेरूलाल दवे ब्राहम्ण निवासी 24 जयहिन्द नगर बाणगंगा रोड इन्दौर (मध्यप्रदेश)
2. श्री गणेशलाल पिता जुगलकिशोर जोशी ब्राहम्ण निवासी ब्रहम्पुरी नाथुवास नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मनोहरसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी वाडा वावडी जावद तहसील मावली हाल घासा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली हाल घासा तहसील घासा।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज औदिच्य, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सुखदेवसिंह उज्जवल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 04.09.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जावद पटवार हल्का जावद तहसील मावली हाल की आराजी नम्बर 1906 रकबा 0.0486 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा होकर उक्त कृषि भूमि के वादीगण संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा उक्त कृषि भूमि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है, उक्त कृषि भूमि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व व हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे उपभोग में चली आ रही है। वादीगण अपने हक हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि पर कई व[illegible] से [illegible]रन्तर निर्विवाद काबिज हो काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

हुए आ रहे हैं। वादीगण का अपने हक हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि पर निरन्तर निर्विवाद आधिपत्य चला आ रहा हैं।

3. यह कि प्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि की संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का निरन्तर निर्विवाद अधिकार आधिपत्य चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफेसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के प्रार्थीगण हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, विपक्षी संख्या 1 लोभ व लालच की भावना से वशीभूत हो एवं भू–माफियाओं के सम्पर्क में हो, मिलीभगत कर एवं हम प्रार्थीगण को रंज व नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा कराए बिना उक्त कृषि भूमि अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने का ही कोई विधिक अधिकार नहीं है, न ही भूमि विशेष पर बिना विभाजन कराए किसी प्रकार का कोई निर्माण कराने का अधिकारी है, ऐसी स्थिति में विपक्षी को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराया जाना आवश्यक है। यदि विपक्षीगण मिलीभगत कर भूमाफियाओं से मिल कर उक्त कृषि भूमि (सम्पति) का कानूनन बंटवाडा कराए बिना किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द कर देंगे, तो हम प्रार्थीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) में अपने हक हिस्से से हमेशा–हमेशा के लिए वंचित हो जावेंगे एव ंहम प्रार्थीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, हितों की रक्षा के लिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 17.04.2023 को विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास किया व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की व भूमि विशेष पर निर्माण कराने का प्रयास किया व कृषि भूमि का कानूनन बंटवाडा कराए बिना उक्त कृषि भूमि को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व अन्य खातेदारान के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का ... हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/20 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

होकर प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण को अपने हिस्से प्राप्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, बाधा उत्पन्न न करे, न ही विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजीयात का बिना विधिक विभाजन कराए उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, न भूमि विशेष पर कोई निर्माण इत्यादि स्वयं करे, न ही अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के माध्यम से करावे, विपक्षी संख्या 2 रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखे।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं।
6. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।
7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार के रूप में काश्तकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग, विक्रय, हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार हैं। उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदारान होने से किसी भी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे उसके साथ कठुराघात होगा। इसलिए विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। न्यायालय का यह अभिमत है कि सहखातेदारी की भूमि में यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे एक पक्ष को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा उन्हे अपनी भूमि का विकास करने, ऋण लेने आदि में भी कठिनाई होगी। उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से यदि मात्र विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं ठोस कारण नहीं बताया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद किया जाना अतिआवश्यक हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति का बिन्दु* – चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं परन्तु सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षी संख्या 1 को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न होगी। विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से इन्हे अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम जावड पटवार हल्का जावड तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 487 पर दर्ज आराजी नम्बर 1906 किता 1 रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द-बुर्द/हस्तान्तरण करने पर आमादा है परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व प्रकरण दिनांक 10.06.2023 को न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसे आज लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हैं, जिसमें विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने पर आमादा होते तो अब तक हस्तान्तरण कर चुके होते परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अब तक ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण कर दी गई हो। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने, उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगे तथा विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी। वैसे भी प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद बंटवाडे का पेश किया जिसमें किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही गई हैं। केवल मात्र सहखातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना होता हैं। इसलिए प्रार्थीगण का हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता हैं।

शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगें। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:58 IST
Reason: SelfAttested